

समिति का पंजीयन क्रमांक : 201/भरत/रजि. 2000-2001

Mob. 9414444986  
8209401200



# खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

जघीना रोड, भरतपुर (राजस्थान) 321001

(एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त)

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर से सम्बद्ध



श्री गुलराज गोपाल खण्डेलवाल  
अध्यक्ष



श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल  
सचिव



डॉ. मधु खण्डेलवाल  
प्राचार्या



श्री योगेन्द्र खण्डेलवाल  
व्यवस्थापक

**विवरणिका**

समिति का पंजीयन क्रमांक : 201/भरत/रजि. 2000-2001

Mob. 9414444986  
8209401200

# खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

जघीना रोड, भरतपुर (राजस्थान) 321001  
(एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त)



## विवरणिका

20 - 20

## ईश प्रार्थना

यं शैवा समुपासते शिव इति, ब्रह्मेति वेदान्तिनो ।  
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः, कर्तेति नैय्यायिकाः ॥

अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता, कर्मेति मीमांसकाः ।  
सोऽयंनो विद्धातु वान्छित फलं त्रैलोक्य नाथो हरिः ॥

## प्रार्थना

वह शक्ति हमें दो दयानिधे,  
कर्तव्य मार्ग पर डट जायें ।  
पर सेवा पर उपकार में हम,  
निज जीवन सफल बना जायें । वह शक्ति .....

हम दीन दुखी निबलों विकलों  
के सेवक बन सन्ताप हरे ।  
जो हैं अटके भूले भटके,  
उनको तारें खुद तर जायें । वह शक्ति .....

छल दंभ द्वेष पाखण्ड झूठ,  
अन्याय से निशदिन दूर रहें ।  
जीवन हो शुद्ध सरल अपना,  
शुचि प्रेम सुधारस बरसायें । वह शक्ति .....

निज आन मान मर्यादा का,  
प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहें  
जिस देश भूमि में जन्म लिया,  
बलिदान उसी पर हो जायें ॥ वह शक्ति .....

# खण्डेलवाल शिक्षा एवं मानव सेवा समिति

## भरतपुर (राजस्थान)

खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भरतपुर के प्रारम्भ के अवसर पर खण्डेलवाल शिक्षा एवं मानव सेवा समिति भरतपुर के अध्यक्ष एवं सदस्यगण शिक्षा जगत से जुड़े सभी मनीषी विद्वानों एवं छात्र बन्धुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करते हैं।

भरतपुर राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है। अकेले भरतपुर जिले की जनसंख्या 25 लाख है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं ज्ञानार्जन की आकांक्षा ने महाविद्यालय की महती आवश्यकता को प्रामाणिक पुष्टि प्रदान की है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ राज्य की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, वाणी एवं विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर एवं स्तर की समानता प्रदान करना एवं व्यक्ति की गरिमा एवं बन्धुत्व की भावना का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य भावी पीढ़ी को जीवन यापन का साधन उपलब्ध कराने के साथ व्यक्ति को एक योग्य, सक्षम, सशक्त एवं जागरूक नागरिक बनाना है। समिति यह मानती है कि राज्य की क्षमता एवं कार्य करने की सीमाओं के बंधन के कारण राज्य वर्तमान परिस्थितियों में उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। यही भाव एवं प्रेरणा लेकर पूर्णकालिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का विचार आया था।

समिति को संतोष है कि विद्याध्ययन के व्यवहारिक पक्ष तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य में महाविद्यालय सफलता प्राप्त करेगा। शिक्षित समाज द्वारा शासित राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक चिन्तन को स्वस्थ दिशा देने, विचार, वाणी एवं विश्वास की स्वतंत्रता के सदुपयोग एवं व्यक्ति की गरिमा एवं बन्धुत्व की भावना के प्रति आस्था जागृत करने की दिशा में महाविद्यालय निरन्तर सचेष्ट रहेगा एवं इस माध्यम से भावी पीढ़ी को एक सुयोग्य व सक्षम नागरिक बनाने के अपने उद्देश्य में इस अवधि में गतिशील एवं प्रयासरत रहेगा।

किसी संस्था या संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक निश्चित नियमावली की आवश्यकता पड़ती है, जो उसके सदस्यों द्वारा मान्य हो, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कठिनाई उपस्थित न हो या यदि किन्हीं दो वर्गों या व्यक्तियों के बीच मतभेद उपस्थित हो तो उसे आसानी से दूर किया जा सके। नियमावली सदस्यों को उनके अधिकार तथा कर्तव्यों से परिचित कराती हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार का भ्रम न हो। यह नियमावली उपयोगकर्ताओं तथा संस्था के अधिकारियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है।

# खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

## परिचय

1. खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भरतपुर जिले का अग्रणी महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना खण्डेलवाल शिक्षा एवं मानव सेवा समिति, भरतपुर के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों के प्रयासों से सन् 2007 में की गई। समिति के सभी पदाधिकारी व्यक्तित्व विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रोत्थान तथा शिक्षा के लिए समर्पित हैं। अतः इस महाविद्यालय में शिक्षा जगत से जुड़े सभी मनीषी, विद्वानों एवं शिक्षेच्छु छात्र बन्धुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन है।

2. भरतपुर राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है। अकेले भरतपुर जिले की जनसंख्या 25 लाख है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं ज्ञानार्जन की आकांक्षा ने महाविद्यालय की महती आवश्यकता को प्रामाणिक पुष्टि प्रदान की है। हन एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ राज्य की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, वाणी एवं विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर एवं स्तर की समानता प्रदान करना एवं व्यक्ति की गरिमा एवं बन्धुत्व की भावना का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य भावी पीढ़ी को जीवन यापन का साधन उपलब्ध कराने के साथ व्यक्ति को एक योग्य, सक्षम, सशक्त एवं जागरूक नागरिक बनाना है। उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि देश के भावी कर्णधारों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व नैतिक विकास भी क्रिया जाये और यह तभी सम्भव है जब हमारे शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों और पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा के साथ उनका निर्वहन करें। अतः शिक्षकों में शिक्षण कोशल विकसित करना आवश्यक हो जाता है। उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में विशेष योगदान रहता है। प्रशिक्षित शिक्षक ही छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं और विशेष योग्यताओं के अनुरूप शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन करके छात्रों के समुचित विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तभी शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के सभी साधन उपलब्ध हैं। पर्याप्त आकार के हवा व रोशनीयुक्त कक्षा-कक्ष हैं। विभिन्न तकनीकी सामग्री से युक्त प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला तथा विज्ञान प्रयोगशाला है। विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकों व संदर्भ ग्रंथों से युक्त विशाल पुस्तकालय तथा वाचनालय है। 15 कम्प्यूटरों से युक्त कम्प्यूटर कक्ष है। विभिन्न खेलकूदों के लिए विशाल मैदान तथा एक सभागार भी है। छात्राओं के लिए कॉमन रूम है। इस पर सोने पर सुहागा सभी विषयों में शिक्षण कार्य के लिए योग्य और अनुभवी व्याख्याता हैं जो इस महाविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रकार शिक्षित समाज द्वारा देश के भावी कर्णधारों के आर्थिक एवं राजनैतिक चिन्तन को स्वस्थ दिशा देने, विचार, वाणी एवं विश्वास की स्वतंत्रता के सदुपयोग एवं व्यक्ति की गरिमा एवं बन्धुत्व की भावना के प्रति आस्था जागृत करने की दिशा में खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय निरन्तर प्रयासरत हैं।

## महाविद्यालय की उपलब्धियाँ

खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय, भरतपुर ने विद्याध्ययन के व्यावहारिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा प्रदान करते हुए गत दो वर्षों में असीम सफलता प्राप्त की है। महाविद्यालय में सैद्धान्तिक (अनिवार्य) व प्रायोगिक (वैकल्पिक) विषयों की नियमित कक्षाएँ लगी जिसका परिणाम है कि महाविद्यालय का सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। विभिन्न शिक्षण कौशलों को विकसित करते हुए महाविद्यालय में प्रशिक्षणार्थियों को शैक्षिक, तकनीकी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कार्य-अनुभव तथा विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग कराये गये जिनसे छात्रों की सृजनात्मक क्षमता का विकास किया गया। शिक्षण अभ्यास के लिए निर्धारित पाठ समय से पूरे कराये गये। इसके लिए महाविद्यालय उन संस्थाओं के संचालकों का आभारी है जहाँ शिक्षण अभ्यास करवाया गया। इनमें नेशनल एकेडेमी स्कूल, राजस्थान पब्लिक स्कूल, ज्ञानोदय विद्या निकेतन मुख्य हैं।

सांस्कृतिक व खेलकूद गतिविधियों में भी महाविद्यालय में अनेक कार्यक्रम किये गये। सांस्कृतिक सप्ताह में विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक क्रियाओं में छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं ने पूरे जोश व उत्साह से भाग लिया। अनेक प्रतियोगिताएँ करायी गयी जैसे- कविता पाठ, गायन, नृत्य, निबन्ध लेखन, वाद-विवाद आदि। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं के समापन-समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार दिये गये। खेल प्रतियोगिताओं में बॉली-बाल, गोला फैंक, कैरम व शतरंज का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं ने भरतपुर में आयोजित अन्तर-महाविद्यालयी अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अधिकतम पुरस्कार जीत कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अपने विचारों को व्यक्त किया और पुरस्कार प्राप्त किये।

छात्र-छात्राओं द्वारा बेकार पड़ी सामग्री से सुन्दर कलात्मक वस्तुएं बनायी गयी जो उनकी मौलिकता और सृजनात्मकता का द्योतक है। इन वस्तुओं की प्रदर्शनी लगायी गयी जिसको अतिथियों द्वारा सराहा गया। इस प्रकार महाविद्यालय परिवार से जुड़े सभी सदस्यों के सहयोग से महाविद्यालय ने गत वर्षों में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की और जिले में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने में सफल रहा।

# सामान्य जानकारी

उपलब्ध वैकल्पिक विषय :

## कला संकाय

1. संस्कृत, हिन्दी, इतिहास, अंग्रेजी  
नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन

## विज्ञान संकाय

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सा. विज्ञान

2. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में चयनित होने के बाद उपस्थित होने के समय महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में अपना नामांकन कराने हेतु नामांकन व वैधता फार्म भरने होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा (महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में नामांकन कराने हेतु) पूर्व विश्वविद्यालय (जहां से स्नातक या स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में परीक्षा उत्तीर्ण की है) का प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) देना आवश्यक है। वांछित प्रमाण-पत्र को निश्चित समय पर न देने पर महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को नियमानुसार विलम्ब शुल्क देना होगा। सत्र के मध्य में छात्र महाविद्यालय छोड़कर जाता है तो जमा शुल्क में से कोई राशि वापिस नहीं दी जायेगी।
3. छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश में ही महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त होगा। गणवेश धारण न करने पर उन्हें वापस भेज दिया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी पाठ कक्षा को पढ़ाना छात्राध्यापक/छात्राध्यापिका का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। ऐसा न होने पर उन्हें परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।
5. किसी भी छात्र द्वारा महाविद्यालय के किसी कर्मचारी अथवा व्याख्याता आदि के साथ अभद्र व्यवहार करने पर महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

6. महाविद्यालय के हितों के विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य करने पर छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
7. प्राचार्य, स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश करना, जोर से बोलना, अनुशासनहीनता, कार्य में बाधा डालना आदि दुर्व्यवहार की संज्ञा में आयेगा।

## महाविद्यालय गणवेश

### ग्रीष्म ऋतु :

**छात्र :** महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्ट, काली पैन्ट, काले जूते

**छात्रायें :** साड़ी ब्लाउज (रंग - महाविद्यालय द्वारा निर्धारित)

### शीत ऋतु :

उपर्युक्त के साथ काला स्वेटर, जर्सी एवं कार्डीगन या कोट।

### सामान्य नियम

1. प्रत्येक सैद्धान्तिक विषयों में 80 प्रतिशत तथा प्रायोगिक शिक्षण अभ्यास में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. बिना पूर्व अनुमति के एक साथ 6 कार्य दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी का नाम उपस्थिति पंजिका से निरस्त कर दिया जायेगा तथा पुनः प्रवेश की प्रक्रिया अपनानी होगी।
3. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार महाविद्यालय की शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों में सक्रिय भाग लेना होगा।
4. सभी विषयों में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. सभी छात्राध्यापकों को प्रतिदिन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश में ही आना अनिवार्य है।



## पुस्तकालय

महाविद्यालय में छात्रों को अध्ययन के लिये विषयों की लगभग 6000 पुस्तकें उपलब्ध हैं एवं छात्रों को घर पर पढ़ने के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध करायी जावेगी परन्तु सन्दर्भ ग्रन्थ महाविद्यालय में ही पठन के लिये उपलब्ध होंगे।

## कार्यकाल :-

राजपत्रित स्थानीय तथा साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त पुस्तकालय प्रतिदिन निम्नांकित समयानुसार खुला रहेगा।

महाविद्यालय खुलने के आधा घन्टे बाद तथा बन्द होने के 15 मिनट पहले तक अथवा आवश्यकता पड़ने पर उपर्युक्त समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

## प्रवेश :-

1. पुस्तकालय में प्रवेश का अधिकार प्रत्येक छात्र को है बशर्ते वे असंतुलित दिमाग के न हो, नशे में न हो, ऐसा वस्त्र न पहने हो जो अभद्रता का प्रतीक हो।
2. थैला, छाता, ओवरकोट, निजी पुस्तकें या कोई भी हथियार एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर पुस्तकालय में प्रवेश न करें।
3. पुस्तकालय भवन के भीतर धूम्रपान करना व थूकना निषिद्ध है।

## सदस्यता :-

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद शुल्क जमा कराने पर तथा पुस्तकालय नियमावली में दिये गये पिता/संरक्षक और सदस्यता का प्रमाण पत्र पूर्ण कर पुस्तकालयाध्यक्ष को जमा कराने पर ही सदस्यता मान्य होगी।

## नोट :-

पुस्तकालय में अनुशासनहीनता करने तथा पुस्तकालय सामग्री को नष्ट भ्रष्ट करने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

4. आगम निर्गम पटल अथवा काउंटर छोड़ने से पूर्व सदस्यों को पुस्तक की दशा की जाँच कर लेनी चाहिए अन्यथा बाद में किसी प्रकार की क्षति पाई जाने पर सदस्य को क्षतिपूर्ति करनी होगी।
5. यदि किसी सेट की कोई पुस्तक खो जाये या नष्ट हो जाये तो पूरे सेट या पुस्तक का मूल्य चुकाना होगा।
6. पुस्तकों या अन्य पाठ्य सामग्री में किसी प्रकार का निशान लगाना या नाम लिखना वर्जित है।
7. आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी पुस्तक को देय तिथि के पूर्व भी लौटाने का आदेश दिया जा सकता है।
8. यदि किसी छात्र पर कोई राशि बकाया हो तो उसका भुगतान होने के बाद ही पुस्तकें निर्गत की जायेगी।

### वाचनालय और संदर्भ विभाग

1. यह विभाग प्रत्येक छात्र के लिए अध्ययन एवं शोध के लिए खुला रहेगा।
2. दुर्लभ पाठ्य सामग्री का उपयोग निर्धारित स्थान में ही किया जा सकता है।
3. किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या रोजगार समाचार आदि में से कोई भी लेख चित्र या विज्ञापित बिना पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुमति के फाड़ना या नकल करना कानूनी अपराध है।
4. किसी छात्र को अपनी पसन्द के लेखक की कोई पुस्तक पुस्तकालय में होना आवश्यक प्रतीत होता है जो पुस्तकालय में नहीं है तो पुस्तक चयन सलाहकार समिति में अपना नाम लिखवा कर अपनी अनुशंसा करे।
5. वाचनालय में पढ़ने के लिए पहचान पत्र साथ रखें एवं वाचनालय में मात्र पढ़ने के ही उद्देश्य से आयें और शान्ति बनाये रखे।
6. सन्दर्भ पुस्तकें (Reference Books) एवं पत्रिकाएं (Journals) का अध्ययन केवल पुस्तकालय में ही किया जा सकता है। ये पुस्तकें किसी भी स्थिति में Issue नहीं की जाती हैं।

# खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भरतपुर (राजस्थान)

समिति के पदाधिकारी निम्न प्रकार हैं :-

- |     |                                    |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 1.  | श्री गुलराज गोपाल खण्डेलवाल एड.    | अध्यक्ष              |
| 2.  | श्री भगवत प्रसाद गुप्ता            | उपाध्यक्ष            |
| 3.  | श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल एड. | सचिव                 |
| 4.  | श्री महेशचन्द्र सिंघल              | संगठन सचिव           |
| 5.  | श्रीमती रश्मि खण्डेलवाल            | कोषाध्यक्ष           |
| 6.  | डॉ. गुरदीप सिंह एम.एस.             | सदस्य                |
| 7.  | श्री दिनेश शर्मा                   | सदस्य                |
| 8.  | श्री श्यामलाल खण्डेलवाल            | सदस्य                |
| 9.  | श्री जितेन्द्र कुमार               | सदस्य                |
| 10. | श्रीमती सुषमा खण्डेलवाल            | सदस्य                |
| 11. | श्री राजेश मित्तल एडवोकेट          | सदस्य                |
| 12. | डा. श्रीमती मधु खण्डेलवाल          | प्राचार्या           |
| 13. | श्री विशाल सिंह                    | प्राध्यापक प्रतिनिधि |
| 14. | छात्र प्रतिनिधि                    |                      |

# सरस्वती वन्दना

जयति जय-जय मां सरस्वती

जयति वीणां वादिनी मां

जयति पदमासन हे ! माता जयति शुभ वरदायिनी मां

जयति.....

(1) कमल आसन छोड़ दे मां देख जग की दुर्दशा मां ।

शान्ति की सरिता बहा मां - 2

फिर से जग में जनमनि माँ

जयति.....

(2) अज्ञानता के घोरतम को

ज्ञान रब से दूर कर मां

दे हमें विद्या सुयश बल - 2

छात्र जनमन रंजनी मां

जयति.....

(3) बुद्धि जड़ता को मिटा दे जग में चमके साधना मां

भाल ऊंचा हो हमारा - 2

हे सुयश बल धारिणी मां

जयति.... ..

## गुरु वन्दना

त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव

त्वमेव विद्या द्रबिडम् त्वमेव

त्वमेव सर्वम् मम् देव देवः ।

# खण्डेलवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय



जघीना रोड, भरतपुर (राज.) M. : 9414444986, 8209401200

सत्र 20..... -20.....

## प्रवेश जांच-पत्र

हस्ताक्षरयुक्त  
फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में).....
3. आवेदक के पिता का नाम.....
4. पत्र व्यवहार का पता .....
- पिन नं. .... Whatsapp No. .... मो. ....
5. पी.टी.ई.टी. अनुक्रमांक .....मैरिट नं. ....
6. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण:

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	वि.वि. का नाम	वैकल्पिक विषय	वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत
1.	बी.ए./बी.एससी.					
2.	एम.ए./एम.एससी.					
3.	अन्य योग्यता					

7. अंतिम परीक्षा जो उत्तीर्ण की है व संस्था का नाम.....
8. क्या महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है? हाँ/नहीं
9. यदि हां, तो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय का नामांकन संख्या.....
10. श्रेणी 1. सामान्य 2. अनु. जाति 3. अनु. जनजाति 4. विकलांग  
5. विधवा 6. परित्यक्ता 7. सैनिक वार्ड 8. अ.पि. वर्ग

दिनांक .....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मैंने छात्र/छात्रा .....के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर ली है।

उक्त प्रत्याशी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त करना शेष है-

(1) (3)

(2) (4)

मैं अभिशांसा करता हूँ कि उक्त प्रत्याशी प्रवेश योग्य है और शिक्षण विषय राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमानुसार दिये गये हैं। इन्हें बी.एड. में अस्थाई प्रवेश दे दिया जाये।

हस्ताक्षर जांचकर्ता (सहयोगी)

(दिनांक एवं हस्ताक्षर जांच प्रभारी)

प्रथम वर्ष विषय

द्वितीय वर्ष विषय

प्राचार्य आदेश:

उपर्युक्त प्रत्याशी को बी.एड. में अस्थाई रूप से प्रवेश दिया जाता है।

हस्ताक्षर प्राचार्य